

पत्र सं०- ५१

/2019-20/एडी०कमि० (प्रशासन) वा०क०ल०

कार्यालय एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
(वाणिज्य कर)

लखनऊ

दिनांक ३६/८/ 2019,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

Uttar pradesh plastic and other Non-Biodegradable Garbag (Regulation) Act-2000(U.P Act no.29 of 2000) के अंतर्गत Notification (उत्तर प्रदेश शासन नगर निगम अनुभाग.7)no. 1056, 9-7-18-29 (Lucknow)/ 18 deted 15 July-2018 जारी किया गया था जिसमें "all the Deputy /Assistant Goods and Service Tax Officers in Uttar Prdesh " को भी उनको एरिया में कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया है।

a- prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial township of the state constituted under article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of publicaion of this notification in the Gazette.

b- prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under article 243Q the use, manufacture, sale, distriution, storage, transport, import or export of ,cups, glasses, plates, spoons, tumblers,etc made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August 15, 2018.

C- prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under article 243Q the use ,manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from october, 2, 2018.

अतः उक्त प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. अपने अधिनस्थ प्रवर्तन इकाईयों को निर्देशित कर दिया जाये कि रोड चेकिंग के दौरान उक्त वस्तु का परिवहन/भण्डारण की सघन जांच की जाय। किसी भी प्रकार का माल उक्त श्रेणी का पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही करते हुये जिला प्रशासन को विधिक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाये।
2. समस्त जिलाधिकारियों के द्वारा गठित जांच हेतु टीम में सक्रिय रूप से कार्यवाही हेतु नामित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाये।
3. सभी अधीनस्थ नामित (A.C/DC) अधिकारियों को उक्त Notification से अवगत कराते हुये कार्यवाही करायी जाये।

संलग्नक.उपरोक्तानुसार

198e

30/8/14

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-7

संख्या-1056/9-7-18-29(लखनऊ)/18

लखनऊ:दिनांक 15 जुलाई, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क,7,12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,—

- (क) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैंरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ख) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में ^{प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक के निर्मित} एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कर्पों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ग) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करते हैं:—
- (एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश;

Mamul

- (दो) उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक (क्रमशः नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों की अनुज्ञा से);
- (तीन) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियन्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियन्ता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश;
- (चार) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक, पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;
- (पाँच) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (छः) समस्त उप/सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (सात) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (आठ) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश;
- (नौ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (दस) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (ग्यारह) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (बारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियन्ता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी;
- (ड0) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शगन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं:-

क्रम सं०(क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निरस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकॉल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रूपयों में
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम-1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम -5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000


Manoj

ख	किसी संस्था / वाणिज्यिक संस्था / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान / शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना;	25,000
ग	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000

(च) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करते हैं;

(छ) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहाद्रपूर्ण रीति से किया जायेगा।

2. एदत्पूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

 (मनोज कुमार सिंह)
 प्रमुख सचिव